

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान ,जयपुर


क्रमांक-निसंशि/संस्था-4(कखगघड)/स्थानां/2018/ 32672 -86 दिनांक-31.7.2018
आदेश

निम्नांकित अध्यापक (लेवल प्रथम) के स्थानान्तरण स्वयं की मांग/प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम मय पद	कहाँ से	कहाँ को	वि.वि.
1	श्री भगवान सहाय मीना तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल प्रथम),	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चनकारा पंचायत समिति राजसंमद, जिला राजसंमद	रा.प्रा.सं.वि. संवासा पंस. लालसोट, जिला दौसा (रिक्त पद पर)	स्वैच्छिक
2	गौरव कुमार शर्मा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-। संस्कृत	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हीरामन ढाणी अडौली, कठूमर	राज.उच्च प्रा.सं. विद्यालय खुडियाना अलवर रिक्त पद पर	स्वैच्छिक

नोट-

- (1) जिन संस्थाओं में एकल शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें तब तक कार्यमुक्त नहीं करे न ही वे स्वयं कार्यमुक्त होवे जब तक की कोई अन्य शिक्षक संस्था में कार्यारम्भ नहीं कर लेवे।
- (2) नवनियुक्त शिक्षक पर उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश लागू नहीं होंगे लेकिन ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनकी संस्था अनार्थिक/शून्य नामांकन के कारण बन्द हो गई है उनका यदि दूसरी संस्था में स्थानान्तरण किया गया है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करे।
- (3) जिन शिक्षकों के नाम के सम्मुख प्रशासनिक अंकित है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- (4) स्थानान्तरित शिक्षकों को दिनांक 10.08.2018 तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यारम्भ करना आवश्यक होगा।
- (5) समस्त सभागीय शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभागाधीन संकुलाधीन संस्थाओं में सेवारत शिक्षकों को स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करावे एवं कार्यमुक्ति एवं कार्यारम्भ की सूचना तत्काल निदेशालय में भिजवावे।
- (5) जिन शिक्षकों के सेवानिवृत्ति में एक वर्ष शेष है उनका स्थानान्तरण यदि प्रशासनिक कारणों से हुआ है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करे।


(डॉ० रामकुमार दाधीच)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक,माननीया संस्कृतत शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव,संस्कृतत शिक्षा राजस्थान,जयपुर
3. संबंधित संभागीय संस्कृतत शिक्षा अधिकारी /संकुल प्रभारी /संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल अवगत करावे।
4. संबंधित कार्मिक
5. वेबसाईट प्रभारी निदेशालय को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
6. व्यक्तिगत/रक्षित पंजिका

२.०००
संयुक्त निदेशक
संस्कृतत शिक्षा राजस्थान
जयपुर